ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या–01, सैक्टर–नॉलेजपार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी
जिला – गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

पत्रांकः नियो० PO-06/ 975
दिनांक 28 / 11 / 2022 887
11/28/2022, 17:35:30

कार्यवृत्त

दिनांक 24.11.2022 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा की गई नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि भविष्य में समीक्षा बैठकों में दिखाई जाने वाली प्रजेनटेशन की बुकलेट तैयार कर प्रस्तुत किया जाये।

- नये औद्योगिक सैक्टरों के मानचित्र के सम्बन्ध में

1. नियोजित किए जा रहे औद्योगिक सैक्टरों में आ रही मूल आवादी एवं वाणिज्यिक भूखण्ड को अलग–अलग रंग से मानचित्र में दर्शाए जाने के निर्देश दिए गए।
2. अधिग्रहित भूमि तथा नियोजन हेतु वांछित भूमि की गणना मानचित्रों में दर्शाए जाने के निर्देश दिए गए।
3. प्रस्तावित सैक्टरों का कुल क्षेत्रफल व अन्य विस्तृत गणना दर्शाए जाने के निर्देश दिए गए।
4. भू–विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अधिग्रहित भूमि की विस्तृत सूचना तैयार किये जाने के निर्देश दिए गए।

उपरोक्त कार्य सोमवार तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

- कृषको के 6 प्रतिशत आबादी भूखण्ड लगाये जाने के सम्बन्ध में

5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा समीक्षा बैठक में सम्बन्धित ग्रामों की मूल पत्रावलियों के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा 6 प्रतिशत आबादी भूखण्ड हेतु अनुमोदित पॉलिसी एवं कार्यालय आदेश प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
7. नियोजन हेतु शेष आबादी भूखण्डों के लिये आवश्यक भूमि के चयन हेतु भू–विभाग, टिला व परियोजना विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
8. भू–विभाग के साथ नियोजन विभाग द्वारा Land Availability Survey कराये जाने के निर्देश दिये गये।
9. कृषको के 6 प्रतिशत आबादी भूखण्ड लगाये जाने हेतु Action Plan तैयार करने तथा वर्तमान नीति में कोई संशोधन आवश्यक हो तो उसे प्रस्तावित करने के निर्देश दिये गये।
10. कृषको के 6 प्रतिशत आबादी भूखण्डों को अन्य ग्रामों में नियोजित किये जाने हेतु गाईडलाईन एवं पॉलिसी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
11. नौएडा प्राधिकरण की 6 प्रतिशत आबादी पॉलिसी की तर्ज पर ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की वर्तमान पॉलिसी को संशोधित किये जाने के निर्देश दिये गये।
12. प्रचलित पॉलिसी का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
13. कृषको के 6 प्रतिशत आबादी भूखण्ड लगाये जाने हेतु भू–विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उपलब्ध भूमि चिन्हित की जाये।
14. उपलब्ध भूमि पर कब्जा व अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट किये जाने के निर्देश दिये गये है व सम्बन्धित ग्राम में पूर्व में लगे भूखण्डों में किसी प्रकार के विवाद न होने की आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
15. नियोजित किये जा रहे भूखण्डों के अलावा कोई भूखण्ड शेष नहीं है कि आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।
16. एक साइज के भूखण्डों को ड्रॉ के माध्यम से दिये जाने के निर्देश दिये गये।
17. शेष 7 – 8 ग्रामों के भूखण्डों को 01 सप्ताह के भीतर लगाये जाने के निर्देश दिये गये।
18. भू–विभाग एवं नियोजन विभाग यह सर्टीफाई करेगें कि जिस भूमि पर भूखण्ड नियोजित किये जा रहे हैं वह भूमि आबादी विस्तार हेतु आरक्षित है एवं आवासीय उपयोग की है। इसके अतिरिक्त उस ग्राम में कोई भूखण्ड शेष नहीं है।

Planning/2547/2019/200 11/29/2022,

19. समस्त ग्रामों की पत्रावलियां एक साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

20. भू–विभाग, परियोजना विभाग व नियोजन विभाग समन्वय स्थापित करते हुए दिनांक 30.11.2022 तक भूखण्ड लगाने की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
21. नौएडा प्राधिकरण की तर्ज पर 6 प्रतिशत आबादी भूखण्ड लगाये जाने की प्रक्रिया में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किये जाने के निर्देश दिये गये।

- **हेलीपैड के सम्बन्ध में।**

22. मैसर्स जे0पी0 ग्रीन में आवंटियों की शिकायत के क्रम में हेलीपेड हटाये जाने के निर्देश दिये गये।
23. स्ट्रक्चरल ऑडिट के सम्बन्ध में।
24. स्ट्रक्चरल से सम्बन्धित नौएडा प्राधिकरण के बोर्ड बैठक के मिनिटस के अनुसार तैयार कराने के निर्देश दिये गये।

- **फसाड लाईटिग के सम्बन्ध में।**

25. फसाड लाईटिंग हेतु नौएडा प्राधिकरण के बोर्ड बैठक एवं आदेश के अनुसार एजेण्डा तैयार करने के निर्देश दिये गये।
26. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा समस्त मास्टर प्लान सड़कों को फसाड लाईटिंग हेतु न लिये जाने के निर्देश दिये गये, अपितु ग्रेटर नौएडा एन्ट्री प्वाइन्ट से ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण तक एक स्ट्रेच व ग्रेटर नौएडा वेस्ट की 130मी0 चौड़ी सड़क को दूसरा स्ट्रेस लेने के निर्देश दिये गये।

- **ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में आवंटियों की समास्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।**

27. ग्रुप हाउसिंग से सम्बन्धित एजेण्डे में नौएडा प्राधिकरण से श्री इस्तियाक अहमद, श्रीमति लीनू सहगल एवं श्री एस0सी0 गौड़ के साथ समन्वय स्थापित करते हुए संशोधन करने के निर्देश दिये गये।

- **ए0आर0 लेण्ड क्राफ्ट परियोजना के सम्बन्ध में।**

28. ए0आर0 लेण्ड क्राफ्ट के भूखण्ड पर ड्रोन सर्वे कराने तथा उपलब्ध स्पोर्टस फेसिलिटी की आख्या प्रदान करने के निर्देश दिये गये।
29. ए0आर0 लेण्ड क्राफ्ट द्वारा रिक्रियएशनल एरिया में बनाये जा रहे आवासीय विलाज के निर्माण को रोकने के निर्देश दिये गये।

- **बिल्डिंग प्लान अप्ररवल/कम्पलीशन के सम्बन्ध में।**

30. बिल्डिंग प्लान अप्ररवल/कम्पलीशन की समीक्षा करने पर निर्देशित किया गया कि आवंटियों को 01 बार में ही समस्त आपत्तियों से अवगत करा दिया जाये।
31. यह भी निर्देशित किया गया कि मल्टीपल ओबजेक्शन की रिपोर्ट तैयार कर समीक्षा बैठकों में प्रस्तुत की जाये। ससमय समस्त ऑनलाईन पत्रावलियों का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा सभी सम्बन्धित को उपरोक्त निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए।

816
11/2

(अमनदीप डुली)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

fts-77753 1. स्टॉफ ऑफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के अवलोकनार्थ प्रेषित।
fts-77755 2. विशेष कार्याधिकारी (भूलेख) को अनुपालनार्थ।
fts-77757 3. महाप्रबन्धक (परियोजना) को अनुपालनार्थ।
fts-77758 4. प्रभारी महाप्रबन्धक (नियोजन) को अनुपालनार्थ।
fts-77759 5. उप महाप्रबन्धक (किसान आबादी) को अनुपालनार्थ।
fts-77760 6. प्रबन्धक बिल्डर को अनुपालनार्थ।
fts-77761 7. समस्त सहायक प्रबन्धक (नियोजन) को आवश्यक कार्यवाही हेतु। fts-77762, fts-77763
fts-77764 8. प्रबन्धक(सिस्टम) को प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
9. गार्ड फाईल।

387
11/29/2022, 13
387
11/29/2022, 13:22

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Planning/2547/2019/200 11/29/2022,